



Solar Power Plant

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर
Ph. 0731-2533482 (O), Fax 0731-2544264(O), Email:- dihsindore@gmail.com

इंदौर, दिनांक-21/10/2019.

प्रति,
अधिभोगी/प्रबंधक
JK TYRE & INDUSTRIES LIMITED
C-1, INDUSTRIAL AREA, P.O. BANMORE, DISTT - MORENA
Dist.-Morena (M.P.)

विषय:- कारखाना भवन के नक्शों के अनुमोदन बावत,
संदर्भ : आपका आवेदन क्रमांक FAC1921442

उपरोक्त उल्लेखित कारखाने के नक्शों की एक प्रति निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित की जाकर इस पत्र के संलग्न भेजी जा रही है:-

1. यह अनुमोदन कारखाने के साईट या स्थल का अनुमोदन नहीं है।
2. यह अनुमोदन भवन निर्माण के लिए अथवा अन्य सामग्री प्रदाय करने के संबंध में ग्यारंटी नहीं देता।
3. कारखाना अधिनियम, 1948 तथा म.प्र. कारखाना नियमावली, 1962 के अंतर्गत आवश्यक व्यवस्थाओं जो इन नक्शों में दर्शायी नहीं गई है, से यह अनुमोदन मुक्ति नहीं देता उनका पूरा पालन किया जाना आवश्यक है।
4. कारखाने में एप्लायएन्ट्स तथा ट्रेडवेस्ट संबंधी योजना आपको स्थानीय पब्लिक अधिकारी अथवा संबंधित अन्य विभागों से पृथक से नियमानुसार अनुमोदन कराई जाना आवश्यक है।
5. यह अनुमोदन किसी भी अन्य अधिनियम या नियम से मुक्ति प्रदाय नहीं करता।
6. निर्माण प्रक्रिया चालू करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र 2 पर स्टैबिलिटी सर्टिफिकेट सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी प्रस्तुत करें।
7. यह अनुमोदन कारखाने परिसर के अंदर श्रमिकों/स्टाफ के रहवासी क्वार्टर्स के लिए नहीं है।
8. कारखाने में म. प्र. कारखाने नियमावली 1962 के नियम 72 के अनुसार समुचित अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जावे।

Signature valid

Digitally Signed By Raj Shekhar Singh

मुख्य कारखाना निरीक्षक
INDUSTRIAL HEALTH AND
SAFETY एक्सपर्ट

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

प्रतिलिपि :- (1) उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ग्वालियर की और म.प्र. कारखाना नियमावली 1962 के नियम ए (2) के प्रावधानुसार उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

मुख्य कारखाना निरीक्षक
एवं संचालक
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
मध्यप्रदेश शासन, इंदौर